

## झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस), सिरखा टोली, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)

-JUT- 1275/2023/1638

/राँची, दिनांक- 09/11/2023

प्रेषक.

सहायक कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नामकम, राँची।

सेवा में

निदेशक / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान. पी0पी0पी0 मोड पर संचालित सभी पोलिटेकनिक संस्थान, सभी गैर-राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में डिप्लोमा अभियंत्रण / गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में विषय:-पार्श्विक प्रवेश योजना (Lateral Entry Scheme) के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों द्वारा निबंधन के लिए भरे गये ऑन लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित/अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्षे— 2023—24 में डिप्लोमा अभियंत्रण /गैर—अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में पार्शिवक प्रवेश योजना (Lateral Entry Scheme) के अन्तर्गत तृतीय सेमेस्टर / द्वितीय वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों का निबंधन से संबंधित कार्य दिनांक - रू.व. 11/125 से किया जाना है।

- इस निमित्त निबंधन आवेदन पत्र का प्रपत्र, विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाइट http://www. http://www.jutranchi.ac.in पर भारित (Upload) है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सभी संबंधित प्रविष्टियों को काफी ध्यान पूर्वक एवं सही तरीके से भरा जाना है।
- निबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र में निबंधन शुल्क से संबंधित जमा की गई राशि का विवरण भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। निबंधन शुल्क ऑन—लाईन ट्रांजेक्शन पेमेन्ट (Online Transaction Payment) या बैंक चालान के माध्यम से (Punjab National Bank के खाता संख्या - 1842050000532 में) जमा किया जाना है। निबंधन शुल्क की राशि निम्नवत है:-
- निबंधन शुल्क रू0 350.00
- निबंधन शुल्क (विलम्ब शुल्क सहित)- रू० 550.00 (ख)
- यदि किसी नामांकित विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के समय ही संस्थान में नामांकन शुल्क के साथ निबंधन शुल्क जमा कर दिया गया है तो वैसे मामले में नामांकित संस्थान द्वारा समेकित रूप से बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, **झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची** के नाम तथा रांची में भुगतेय) के माध्यम से विश्वविद्यालय में राशि संबंधित विद्यार्थी / विद्यार्थियों की सूची सहित जमा की जा सकती है। उस राशि से आच्छादित होनेवाले विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र / पत्रों में समान बैंक ड्राफ्ट संख्या अंकित करना होगा।
- विद्यार्थियों द्वारा ऑन-लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को दिनांक 29/11/2023 तक विलम्ब शुल्क रहित तथा दिनांक - १४/12/2023 तक विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक - 62/12/2023 के बाद निबंधन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 7. "Gyanjyoti" link पर Students Corner के नीचे Registration के button पर Click करने के बाद Student को ID Field में अपने Email ID को तथा Password Field में Date of Birth को भरा जाना है। इसके उपरान्त Course Type (B. Tech/Diploma) Select कर Sign Up/Sign In किया जा सकता है। Sign Up/Sign In करने के बाद Registration Application Form को भरकर उसका Print Out निकाल कर संबंधित संस्थान में दिनांक— 23/12/2023 तक जमा किया जाना है। निबंधन के संबंध में किसी भी संशय/दुविधा की स्थिति में श्री मनोज कुमार नायक, कार्यालय सहायक, मोबाईल संख्या— 7870730577 पर कार्य दिवस में पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 05:30 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
- 8. संस्थान द्वारा अपने Login ID एवं Password की मदद से Login करने के बाद Students द्वारा submit किये गये Registration Application Form को Registration Section में जाकर सभी प्रविष्टियों की जाँच करते हुए Approve / Disapprove किया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा भरे गये Registration Application Form में किसी भी तरह की गलती / गलतियों को सुधारने के पश्चात ही उसे Approve करें। दिनांक 13/12/2023 से 25/12/2023 तक की अविध में Registration Application Form को Approve / Disapprove किया जा सकता है। विद्यार्थियों के विवरण का गलत सत्यापन के लिए संस्थान को पूरी तरह से जिम्मेवार समझा जायेगा। संस्थान से अनुमोदित (Approve) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निबंधन संख्या आवंटित करते हुए निबंधन प्रमाण—पत्र (Registration Certificate), संस्थान प्रमुख को भेजा जायेगा जिसे उनके द्वारा अद्यमारित (Download) कर संबंधित विद्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

संबंधित विद्यार्थियों का निबंधन हेतु शाखावार विवरणी साथ ही नामांकन अथवा निबंधन आवेदन पत्र भरने के समय विद्यार्थियों द्वारा संस्थान में मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) उपलब्ध कराया गया हो तो उसे संस्थान प्रभारी द्वारा सत्रवार/शाखावार सूची तैयार करने के उपरान्त सत्यापित/अभिप्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय को दिनांक — 🕅 🖂 🔀 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता देना चाहेंगे।

नोट:— जिन विद्यार्थियों का प्रवजन प्रमाण—पत्र उक्त निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं किया जाता है तो उनका निबंधन संख्या आवंटित नहीं होगा। तत्संबंधी प्रवजन प्रमाण—पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही निबंधन संख्या आवंटित किया जायेगा।

> सहायक कुलसचिव, आरखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल्य, राँची।